

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी. आपराधिक अपील संख्या 38/2016

भगवान सिंह पुत्र श्री किशन सिंह, निवासी पहाड़ी, तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर
तत्कालीन हेड कांस्टेबल नंबर-176, पुलिस थाना मालाखेड़ा, जिला अलवर (राज.)

(वर्तमान में जिला जेल अलवर में बंद)

-----अभियुक्त अपीलकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य, जरिये पीपी

-----उत्तरदाता

अपीलकर्ता(ओं) की ओर से	:	डॉ. गुंजन शर्मा, साथ श्री कपिल कुमार श्री आमिर खान सुश्री रेणु गोयल
उत्तरदाता (ओं) की ओर से	:	श्री अमित पूनिया, पीपी

माननीय श्रीमान. जस्टिस गणेश राम मीणा

निर्णय

आरक्षित तिथि	:::	12 दिसंबर, 2024
घोषणा तिथि	:::	24 जनवरी, 2025
<u>रिपोर्टयोग्य:</u>		

1. धारा 374 (2) सीआरपीसी के तहत तत्काल आपराधिक अपील दायर करके, आरोपी अपीलकर्ता ने सत्र मामला संख्या 33/2015 (12/10,101/13), राज्य बनाम भगवान सिंह में विद्वान विशेष न्यायाधीश, एसीडी मामलों की विशेष अदालत, अलवर (संक्षेप में 'विद्वान विचारण न्यायालय') की अदालत द्वारा पारित दिनांक 04.01.2016 को दोषसिद्धि और सजा के फैसले को चुनौती दी है, जिसके तहत विद्वान विचारणीय न्यायालय ने उसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संक्षेप में '1988 का अधिनियम') की धारा 13 (1) (डी) के साथ धारा 7 और 13 (2) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया और चार साल के कठोर कारावास और 10,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई और जुर्माना अदा न करने पर तीन महीने से कम के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य यह हैं कि नजीर पुत्र कबीरा (पीडब्लू 4), उम्र 50 वर्ष निवासी गांव बाघोर पीएस तिजारा जिला अलवर ने 09.04.2009 को सुबह 11:15 बजे एसीबी चौकी, अलवर में एक पर्चा बयान (एक्स.पी1) दिया और कहा कि एक इमरत जो गांव दोराखी, तहसील फिरोजपुर झिरका जिला नूह का निवासी है, उसके बड़े भाई आसीन का 'समधी' है, इसलिए, वह उसके साथ समान संबंध रखता है। उनके उपरोक्त रिश्तेदार को पिछले पांच दिनों से पीएस मालाखेड़ा में बंद कर दिया गया है। इमरत दुधारू गाय खरीदने आया था, जिसे पिछले पांच दिनों से मालाखेड़ा के पुलिसकर्मियों ने बिना किसी अपराध के गिरफ्तार कर लिया था। उसे

अभी तक किसी भी अदालत में पेश नहीं किया गया है। वह पर्याप्त मात्रा में राशि ले जा रहा था, लेकिन सटीक विवरण इमरत द्वारा ही बताया जा सकता है। जब उसका भाई साहबुद्दीन उसे रिहा कराने के लिए पुलिस स्टेशन गया, तो एसएचओ ने उसे भी पुलिस स्टेशन में बैठने के लिए कहा। साहबुद्दीन को 4-5 घंटे तक थाने में बंद रखने के बाद उसे धमकी दी गई कि कुछ पैसे खर्च करो वरना उसे हवालात में डाल दिया जाएगा। साहबुद्दीन की पिटाई की गई। इसके बाद, दीनू नामक पुलिसकर्मियों के एक दलाल, निवासी सलारपुर ने साहबुद्दीन से पुलिस से बाद में रिहाई के लिए तीन हजार में सौदा किया और यादव एसएचओ को 3000 रुपये दिए गए। यादव एसएचओ ने साहबुद्दीन से कहा कि अगर वह इमरत को रिहा करना चाहता है तो यह 35,000 रुपये में हो जाएगा अन्यथा इमरत पर झूठे गोहत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। आज, यह पूरी कहानी साहबुद्दीन ने उसे सुनाई। उसी दिन वह एसएचओ बृजेंद्र यादव से मिलने गया, जिन्होंने उसे इमरत की रिहाई के लिए दीनू मेव से मिलने के लिए कहा। वह दीनू मेव को नहीं ढूँढ सका। साहबुद्दीन ने बताया कि दीनू मेव भी इमरत की रिहाई के लिए 35,000 रुपये की मांग कर रहा है मालाखेड़ा में बृजेन्द्र यादव ने उसके रिश्तेदार इमरत को बिना गिरफ्तारी दिखाए पिछले पाँच दिनों से बंधक बनाकर रखा है। इमरत का भाई साहबुद्दीन उसे छुड़ाने गया तो उसे भी पीटा गया और वहीं बिठाए रखा गया। दलाल दीनू के ज़रिए तीन हजार रुपये लेकर उसे छोड़ दिया गया। अब, थाना

प्रभारी बृजेन्द्र यादव, दीनू मेव के ज़रिए इमरत को छोड़ने के लिए 35,000 रुपये की मांग कर रहा है, वरना इमरत पर झूठे केस में फँसाने की धमकी दे रहा है। दीनू मेव पुलिस का दलाल है। वह और शाहबदीन रिश्त नही देना चाहते। वे चाहते हैं कि बृजेन्द्र यादव रंगे हाथों पकड़ा जाए। उसकी और शाहबदीन की बृजेन्द्र यादव से कोई दुश्मनी नहीं है।

दिनांक 09.04.2009 को ट्रैप कार्यवाही की गई और भगवान सिंह के कब्जे से 20,000/- रुपये बरामद किए गए।

उपरोक्त पर्चा बयान (एक्स.पी1) के आधार पर, पुलिस स्टेशन एसीबी, जयपुर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संक्षेप में '1988 का अधिनियम) की धारा 7, 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) और धारा 120बी आईपीसी के तहत अपराधों के लिए एफआईआर संख्या 70/79 दर्ज की गई।

3. पुलिस ने जांच के बाद संबंधित न्यायालय में उपरोक्त अपराधों के लिए आरोपी अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

4. विद्वान विचारणीय न्यायालय ने आरोपी अपीलकर्ता के खिलाफ 1988 के अधिनियम की धारा 7, 13 (1) (डी) और धारा 13 (2) के तहत अपराधों के लिए आरोप तय किए, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया और परीक्षण का विकल्प चुना।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए गए।

6. आरोपी अपीलकर्ता का बयान धारा 313 सीआरपीसी के तहत दर्ज किया गया। आरोपी अपीलकर्ता ने अपने बयान में अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

7. विद्वान विचारणीय न्यायालय ने दिनांक 04.01.2016 के अपने निर्णय के तहत आरोपी अपीलकर्ताओं को उपरोक्त अपराधों के लिए दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

8. आरोपी अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता डॉ. गुंजन शर्मा ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता का अपराध सिद्ध करने में विफल रहा है क्योंकि वास्तव में आरोपी अपीलकर्ता के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था और केवल लक्ष्य प्राप्ति के लिए, एसीबी के अधिकारियों द्वारा झूठी ट्रैप कार्यवाही की गई। 1988 के अधिनियम के तहत आरोपी अपीलकर्ता के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता क्योंकि एफआईआर से ही स्पष्ट है कि उसकी ओर से कोई मांग नहीं की गई थी।

अधिवक्ता ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष के लिए यह दिखाना आवश्यक था कि आरोपी अपीलकर्ता को उस कार्य के लिए राशि प्राप्त हुई थी जो उसके पास लंबित था और उस विशेष कार्य को करने के लिए उसकी ओर से मांग की गई थी, लेकिन, इस मामले में ये सभी तत्व गायब हैं और केवल अनुमानों और अटकलों के आधार पर आरोपी अपीलकर्ता को इस मामले में आरोपी बनाया गया है।

अधिवक्ता ने यह भी दलील दी कि जाँच के दौरान, अभियुक्त अपीलकर्ता की आवाज़ का कोई नमूना नहीं लिया गया और मुकदमे के दौरान भी, कथित टेप बातचीत शिकायतकर्ता के सामने पेश नहीं की गई और इस लिखित बातचीत को स्वतंत्र गवाहों ने भी मंजूरी नहीं दी। इसलिए, विद्वान विचारणीय न्यायालय ने टेप बातचीत पर भरोसा करके गंभीर अवैधता की है।

अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि विचारणीय न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार न करके गलती की है कि अभियोजन स्वीकृति यांत्रिक तरीके से जारी की गई थी। वकील ने यह भी दलील दी कि मामले का नमूना बरकरार रहा; अभियोजन पक्ष ने इस संबंध में उचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए और यह एक स्वीकृत तथ्य है कि आरोपी अपीलकर्ता ने नोटों को छुआ तक नहीं था। इसलिए, आरोपी अपीलकर्ता के हाथों के पानी के नमूने के संबंध में सकारात्मक एफएसएल रिपोर्ट अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह पैदा करती है और इस तथ्य को सिद्ध करती है कि मामले में निष्पक्ष जाँच नहीं की गई है।

अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, बचाव पक्ष का कथन अधिक विश्वसनीय प्रतीत होता है, इसलिए आरोपी अपीलकर्ता के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता। अधिवक्ता ने यह भी दलील दी कि आरोपी अपीलकर्ता का मामला 1988 के अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत नहीं आता। अधिवक्ता ने यह भी दलील दी कि विद्वान विचारणीय

न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष और भी अधिक दोषपूर्ण हैं क्योंकि विद्वान विचारणीय न्यायालय द्वारा कोई आलोचनात्मक मूल्यांकन और विश्लेषण नहीं किया गया है।

9. विद्वान लोक अभियोजक ने अपील का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा कोई भी भौतिक अनियमितता या अवैधता नहीं की गई है और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त अपीलकर्ता को सही रूप से दोषी ठहराया गया है।

10. अभियुक्त अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया गया, विवादित निर्णय का अध्ययन किया गया तथा मामले के अभिलेख का भी अवलोकन किया गया।

11. आरोपी अपीलकर्ता को 1988 के अधिनियम की धारा 7 और 13(2) के साथ धारा 13(1)(डी) के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है। कथित घटना की तारीख यानी 09.04.2009 को प्रासंगिक प्रावधान निम्नानुसार उद्धृत हैं:-

7. किसी सरकारी कार्य के संबंध में वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण लेने वाला लोक सेवक। इसमें कहा गया है - जो कोई, सरकारी सेवक होते हुए या होने की आशा करते हुए, अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी सरकारी कार्य को करने या न करने के लिए या अपने सरकारी कृत्यों के प्रयोग में किसी व्यक्ति के प्रति पक्षपात या प्रतिकूलता प्रदर्शित करने या प्रदर्शित करने से परहेज करने के लिए या किसी व्यक्ति

को कोई सेवा या अपकार प्रदान करने या प्रदान करने का प्रयास करने के लिए, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के साथ या धारा 2 के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकरण, निगम या सरकारी कंपनी के साथ, या किसी नामित या अन्यथा सरकारी सेवक के साथ, वैध पारिश्रमिक से भिन्न कोई भी परितोषण, किसी व्यक्ति से, चाहे वह सरकारी कार्य करने या न करने के लिए या अपने सरकारी कृत्यों के प्रयोग में किसी व्यक्ति के प्रति पक्षपात या प्रतिकूलता प्रदर्शित करने या प्रदर्शित करने से परहेज करने के लिए, किसी व्यक्ति को कोई सेवा या अपकार प्रदान करने या प्रदान करने का प्रयास करने के लिए, हेतु या पुरस्कार के रूप में, अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न कोई भी परितोषण स्वीकार करता है या प्राप्त करता है या स्वीकार करने के लिए सहमत होता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है, वह कारावास से, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण- (क) "लोक सेवक होने की आशा करना"- यदि कोई व्यक्ति, जो पद पर होने की आशा नहीं करता है, दूसरों को यह विश्वास दिलाकर कि वह पद पर होने वाला है और तब वह उनकी सेवा करेगा, परितोषण प्राप्त करता है, तो वह छल का दोषी हो सकता है, किन्तु वह इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी नहीं है।

(ख) "परितोषण" - "परितोषण" शब्द केवल आर्थिक परितोषण या धन में अनुमानित परितोषण तक ही सीमित नहीं है।

(ग) "कानूनी पारिश्रमिक" - "कानूनी पारिश्रमिक" शब्द केवल उस पारिश्रमिक तक सीमित नहीं है जिसकी मांग एक लोक सेवक विधिपूर्वक कर सकता है, बल्कि इसमें वह सभी पारिश्रमिक शामिल हैं जिसे

स्वीकार करने की अनुमति उसे सरकार या उस संगठन द्वारा दी गई है जिसमें वह कार्यरत है।

(घ) "कार्य करने के लिए प्रेरणा या पुरस्कार" - कोई व्यक्ति जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरणा या पुरस्कार के रूप में परितोषण प्राप्त करता है, जिसे करने का उसका इरादा नहीं है या वह करने की स्थिति में नहीं है, या उसने नहीं किया है, इस अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है।

(ई) जहां कोई लोक सेवक किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिलाने के लिए गलत ढंग से प्रेरित करता है कि सरकार पर उसके प्रभाव से उस व्यक्ति के लिए कोई उपाधि प्राप्त हो गई है और इस प्रकार वह उस व्यक्ति को लोक सेवक को इस सेवा के बदले में धन या कोई अन्य परितोषण देने के लिए प्रेरित करता है, तो लोक सेवक ने इस धारा के अधीन अपराध किया है।

13. लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार.- (1) किसी लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार का अपराध करने पर यह कहा जाता है-

(क) यदि वह अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए धारा 7 में वर्णित उद्देश्य या पुरस्कार के रूप में वैध पारिश्रमिक से भिन्न कोई परितोषण किसी व्यक्ति से अभ्यासतः स्वीकार करता है या अभिप्राप्त करता है या स्वीकार करने के लिए सहमत होता है या अभिप्राप्त करने का प्रयास करता है; या

(ख) यदि वह अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी मूल्यवान वस्तु को बिना प्रतिफल के या ऐसे प्रतिफल के लिए, जिसे वह अपर्याप्त जानता है, किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके बारे में वह जानता है कि वह उसके द्वारा की गई या की जाने वाली किसी कार्यवाही या कारबार से संबंधित रहा है, या होने वाला है, या जिसका उसके या उसके अधीनस्थ किसी लोक सेवक के पदीय कृत्यों से कोई संबंध है, या किसी

ऐसे व्यक्ति से, जिसके बारे में वह जानता है कि वह उस संबंधित व्यक्ति में हितबद्ध है या उससे संबंधित है, अभ्यासतः स्वीकार करता है या प्राप्त करता है या स्वीकार करने के लिए सहमत होता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है; या

(ग) यदि वह किसी लोक सेवक के रूप में उसे सौंपी गई या उसके नियंत्रण में किसी संपत्ति का बेईमानी या कपटपूर्वक गबन करता है या अन्यथा अपने उपयोग के लिए परिवर्तित करता है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति देता है; या

(घ) यदि वह,-

(i) भ्रष्ट या अवैध तरीकों से, अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करता है; या

(ii) लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके, अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करता है; या

(iii) लोक सेवक के रूप में पद धारण करते हुए, किसी व्यक्ति के लिए बिना किसी जनहित के कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करता है; या

(ई) यदि वह या उसकी ओर से कोई व्यक्ति, अपने पद की अवधि के दौरान किसी भी समय, अपने ज्ञात आय स्रोतों से अधिक धन संबंधी संसाधनों या संपत्ति पर कब्जा रखता है, जिसका लोक सेवक संतोषजनक ढंग से हिसाब नहीं दे सकता।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "आय के ज्ञात स्रोतों" का अर्थ किसी वैध स्रोत से प्राप्त आय है और ऐसी प्राप्ति किसी लोक सेवक

पर तत्समय लागू किसी कानून, नियमों या आदेशों के प्रावधानों के अनुसार सूचित की गई है।

(2) कोई भी लोक सेवक जो आपराधिक कदाचार करता है, उसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा।"

12. अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों की गहन जाँच के बाद यह बात सामने आई कि वर्तमान मामला शिकायतकर्ता नाजिर (पीडब्लू4)के पर्चा बयान (एक्स.पी1) के आधार पर दर्ज किया गया है, जिसमें उसने कहा है कि इमरत (पीडब्लू2),जो उसके बड़े भाई असीम का समधी है, पिछले पाँच दिनों से पुलिस स्टेशन मालाखेड़ा में बिना किसी मामले के बंद है। जब इमरत (पीडब्लू2) का छोटा भाई शबूदीन (पीडब्लू1) पुलिस स्टेशन गया, तो उसे भी वहीं बैठने के लिए कहा गया और पैसे देने के लिए धमकाया गया और उसकी पिटाई भी की गई। यह भी कहा गया कि 'यादव' उपनाम वाले एक 'थानेदार' ने शबूदीन को छोड़ने के लिए 3,000/- रुपये की माँग की और थानेदार यादव ने शबूदीन से कहा कि वह उसके भाई इमरत को पकड़ना चाहता है, उसे 35,000/- रुपये देने होंगे। पर्चा बयान (एक्स.पी1) के बाद के भाग में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि थानेदार बिजेन्द्र यादव ने इमरत (पीडब्लू 2) की रिहाई के लिए 35,000 रुपये की माँग की थी और इसलिए, वह एसएचओ बिजेन्द्र यादव को रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं।

शिकायतकर्ता नजीर (पीडब्लू 4) द्वारा शुरू में बताए गए पर्चा-बयान (एक्स.पी1) के अनुसार, आरोपी अपीलकर्ता के खिलाफ किसी भी पैसे की मांग का कोई आरोप नहीं था। यह मांग "यादव" उपनाम वाले व्यक्ति द्वारा की गई थी, जबकि अपीलकर्ता का उपनाम "गुर्जर" है।

13. शिकायतकर्ता नजीर से अभियोगी संख्या 4 के रूप में पूछताछ की गई और अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन न करने के कारण उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। अभियोगी संख्या 4 नजीर ने इमरत (पीडब्लू 2) और उसके बाद शबूदीन को बंधक बनाए जाने के संबंध में वही तथ्य बताए हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा के बाद के भाग में उसने कहा है कि अधिवक्ता ने उससे कहा था कि इमरत को रिहा कराने के लिए उन्हें 25,000 रुपये खर्च करने होंगे, जिसकी व्यवस्था उसके भाई परमाल (पीडब्लू 3) ने की थी और यह राशि अधिवक्ता को दे दी गई थी। उसने यह भी कहा है कि वह पुलिस स्टेशन में किसी भी पुलिसकर्मी से नहीं मिला और न ही किसी ने उससे पैसे की मांग की। उसने यह भी कहा है कि उसे बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए कोई टेप रिकॉर्डर नहीं दिया गया था।

पीडब्लू 4 नजीर (शिकायतकर्ता) ने आगे कहा है कि उसने आरोपी अपीलकर्ता को पैसे दिए लेकिन उसने इसे लेने से इनकार कर दिया और जब वह कार्यालय से बाहर आया, तो एसीबी कर्मियों ने उसे वापस जाकर आरोपी अपीलकर्ता को यह पैसा देने की धमकी दी और उसने पैसे आरोपी अपीलकर्ता की

जेब में डाल दिए। इसके बाद एसीबी के लोग आए और आरोपी अपीलकर्ता को पकड़ लिया। जिरह में, इस गवाह ने जाल की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है और यह भी कहा है कि वह आरोपी अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता (पीडब्लू 4 नजीर) की आवाज को नहीं पहचान सकता है, जो बातचीत के संबंध में टेप रिकॉर्डर में दर्ज की गई है। अपनी परीक्षा के दौरान, उन्होंने इमरत (पीडब्लू 2) को कारावास में रखने के तथ्य का समर्थन नहीं किया है और आरोपी अपीलकर्ता भगवान सिंह के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की है। उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि आरोपी अपीलकर्ता ने कभी भी पैसे की मांग नहीं की है और आगे कहा है उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी अपीलकर्ता के खिलाफ जालसाजी की कार्यवाही अवैध है।

14. शाहबुद्दीन, जो एक महत्वपूर्ण गवाह भी है, से अभियोगी प्रथम के रूप में पूछताछ की गई है, और उसे भी पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है क्योंकि उसने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया है। इस गवाह ने कहा है कि उसे इस तथ्य की जानकारी नहीं है कि शिकायतकर्ता नजीर (पीडब्लू 4) को मांग के सत्यापन के संबंध में बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए एसीबी कर्मियों द्वारा एक टेप-रिकॉर्डर दिया गया था। उसने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि यह कहना गलत है कि आरोपी अपीलकर्ता ने उससे किसी रिश्त की मांग की थी।

15. अन्य महत्वपूर्ण गवाह इमरत, जिसकी पीडब्लू2 के रूप में परीक्षा हुई है, ने भी अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया और अपने बयान से पलट गया। मुख्य परीक्षा में उसने कहा है कि सादी वर्दी में एक व्यक्ति ने उससे पूछा था कि 'थानेदार' उसे बुला रहे हैं और वह भगवान सिंह नाम के किसी हेड कांस्टेबल से नहीं मिला है। उसने इस बात से भी इनकार किया है कि भगवान सिंह (आरोपी अपीलकर्ता) उसे थानेदार यादव के पास ले गया था। अपनी जिरह में उसने कहा है कि उसे पुलिस ने नहीं, बल्कि बाज़ार में जनता ने पीटा था और पुलिसकर्मियों ने उससे कोई पैसे नहीं मांगे थे।

16. शिकायतकर्ता नजीर (पीडब्लू 4) के भाई परमाल से पीडब्लू 3 के रूप में पूछताछ की गई है, जिसके बारे में कहा गया है कि उसने 25,000 रुपए की व्यवस्था की थी, जो कथित तौर पर आरोपी अपीलकर्ता को रिश्त के रूप में दी गई थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भगवान सिंह ने कभी भी रिश्त की मांग नहीं की तथा शिकायतकर्ता नजीर (पीडब्लू 4) ने आरोपी अपीलकर्ता की जेब में जबरन पैसे डाल दिए। महत्वपूर्ण गवाह परमाल (पीडब्लू 3) को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है क्योंकि उसने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया है। पीडब्लू 3 परमाल ने यह भी कहा है कि जब नजीर (शिकायतकर्ता पीडब्लू 4) भगवान सिंह के पास पैसे देने गया तो उसने (भगवान सिंह) पैसे लेने से इनकार कर दिया और ग्रामीणों के साथ विवाद सुलझाने को कहा और वे बाहर आ गए।

आगे बताया गया है कि जब वह नजीर (पीडब्लू 4) के भाई के साथ कार्यालय से बाहर आया और एसीबी कर्मियों को बताया कि भगवान सिंह पैसे स्वीकार नहीं कर रहा है तो एसीबी कर्मियों ने उनसे कहा कि वे उसे किसी भी तरह से पैसे दे दें अन्यथा पूरी जाल कार्यवाही विफल हो जाएगी और फिर वे फिर से गए और आरोपी अपीलकर्ता को पैसे देने की कोशिश की जिसने इनकार कर दिया लेकिन शिकायतकर्ता नजीर (पीडब्लू 4) ने पैसे उसके जेब में रख दिये और उसके बाद एसीबी कर्मों वहां आए।

17. अभियोजन पक्ष का आरोप है कि इमरत (पीडब्लू 2) को उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज किए बिना पुलिस स्टेशन मालाखेड़ा में बंद कर दिया गया था और जब उसका भाई शाहबुद्दीन उसे रिहा कराने के लिए वहां गया तो उसे भी वहीं बैठने के लिए कहा गया और उनकी रिहाई के लिए पैसे की मांग की गई।

इस संबंध में अभि.सा. 5 जयराम के कथन अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं। उन्होंने बताया कि वे पुलिस थाना मालाखेड़ा में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं और 09.04.2009 को प्रातः 12:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक उनकी ड्यूटी थी और उस दौरान थाने में किसी को भी निरुद्ध नहीं रखा गया था। । उन्होंने आगे बताया कि शिकायतकर्ता नजीर (पीडब्लू 4) वहाँ आए और उन्होंने सहायक उपनिरीक्षक भगवान सिंह के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि थाने में कोई भी उपनिरीक्षक भगवान सिंह तैनात नहीं है।

18. राजेंद्र कुमार वर्मा से व्यक्तिगत गवाह संख्या 6 के रूप में पूछताछ की गई, जिन्हें बातचीत की रिकॉर्डिंग का स्वतंत्र गवाह बताया गया है। जब रिकॉर्डिंग सुनाई गई और उनसे आवाज़ पहचानने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा कि वे आवाज़ नहीं पहचान पा रहे हैं। हालाँकि, उन्होंने बताया कि जब प्रतिलिपि तैयार की गई थी, तब शिकायतकर्ता (पीडब्लू 4) ने कहा था कि उसमें उनकी और अभियुक्त अपीलकर्ता की आवाज़ है।

19. एक अन्य महत्वपूर्ण गवाह अभि.सा.10 सुनील कुमार है, जो पुलिस स्टेशन मालाखेड़ा में तैनात है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, इमरत (पीडब्लू 2) को उसके विरुद्ध कोई मामला दर्ज किए बिना ही पुलिस स्टेशन मालाखेड़ा में 4-5 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया था। हालाँकि, उक्त गवाह (पीडब्लू 10) ने कहा है कि वह यह नहीं बता सकता कि इमरत को बंधक बनाया गया था या नहीं।

20. अभियोक्ता संख्या 11 डॉ. भूपेंद्र यादव, जिन्होंने अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर ली है और आरोप-पत्र भी प्रस्तुत कर दिया है, ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियुक्त अपीलकर्ता का नाम प्रारंभिक पर्चा बयान (ईएक्स.पी1). में नहीं है। कथित घटना के दिन वे एसीबी में पदस्थ थे, हालाँकि शुरुआत में उन्होंने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन किया था। उन्होंने कहा है कि शिकायतकर्ता (पीडब्लू 4 नाजिर) की शिकायत पर, थाना प्रभारी बृजेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया था।

उन्होंने आगे कहा है कि भगवान सिंह के पास खड़े शिकायतकर्ता नाजिर (पीडब्लू 4) ने कहा कि अभियुक्त अपीलकर्ता का उनसे कोई लेना-देना नहीं है।

21. इस मामले से संबंधित अन्य गवाह अभि.सा.13 आलोक वशिष्ठ हैं, जिन्होंने अभियुक्त अपीलकर्ता के विरुद्ध 1988 के अधिनियम के अंतर्गत धारा 7 और 13(2) सहपठित धारा 13(1)(घ) के अंतर्गत अपराधों के लिए अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है। इस गवाह ने कहा है कि जब मामला अभियोजन स्वीकृति के लिए उनके समक्ष आया, तब तक एसएचओ बृजेन्द्र यादव को आरोपी नहीं पाया गया था, जबकि पर्चा बयान (ईएक्स.पी1) और प्रारंभिक प्रतिलिपि में एसएचओ 'यादव' का नाम दर्ज है। उन्होंने आगे कहा है कि भगवान सिंह ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि शिकायतकर्ता (पीडब्लू.4 नजीर) ने जबरन उनकी जेब में पैसे डाले थे, हालाँकि, फर्द बरामदगी पर उनका स्पष्टीकरण दर्ज नहीं किया गया।

22. एक अन्य गवाह रिचपाल सिंह को पीडब्लू 14 के रूप में परीक्षित किया गया है, जो एसीबी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे। उन्होंने कहा है कि पर्चा बयान (एक्स.पी1) शिकायतकर्ता (पीडब्लू4 नजीर) द्वारा दिया गया था, जिसे उनके द्वारा रिकॉर्ड किया गया था और मांग के सत्यापन के लिए नजीर (शिकायतकर्ता पीडब्लू4) को एक डिजिटल टेप रिकॉर्डर सौंपा गया था और उसके बाद दो गवाहों की उपस्थिति में प्रतिलिपि तैयार की गई थी। प्रतिलिपि एक्स.पी15 है जिसमें आरोपी अपीलकर्ता और एसएचओ बृजेन्द्र यादव द्वारा रिश्त की मांग के

आरोप हैं। उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि पर्चा बयान (एक्स.पी1) में आरोपी अपीलकर्ता भगवान सिंह का नाम नहीं है, हालांकि, भगवान सिंह का नाम प्रतिलिपि में दिखाई दिया है। उक्त गवाह ने यह भी कहा है कि शिकायतकर्ता नजीर (पीडब्लू4) भगवान सिंह और बृजेन्द्र सिंह की आवाज नहीं पहचानता उन्होंने यह भी कहा कि रनिंग नोट में इस तथ्य का भी खुलासा नहीं किया गया है कि शिकायतकर्ता (पीडब्लू 4 नजीर) ने ट्रैप पार्टी को किस बिंदु पर संकेत दिया था।

23. अभियोगी 15 जगदीश प्रसाद गुप्ता ने यह भी कहा है कि पर्चा बयान (एक्स.पी1) में आरोपी अपीलकर्ता का नाम नहीं है जिसे परमाल (पीडब्लू3) को पढ़कर सुनाया गया था जिन्होंने तथ्यों को सत्यापित किया। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक प्रतिलिपि (एक्स.पी15) तैयार नहीं हुई, तब तक भगवान सिंह का नाम नहीं था और इसे बिना किसी की जानकारी के रिकॉर्ड कर लिया गया। उन्होंने यह भी कहा है कि अधिकांश दस्तावेज अलवर में तैयार किए गए थे और प्रतिलिपि की सीडी उनकी उपस्थिति में तैयार नहीं की गई थी। उक्त गवाह ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि शिकायतकर्ता (पीडब्लू4 नजीर) और पीडब्लू3 परमाल को एसएचओ बृजेन्द्र यादव को पैसे देने के लिए भेजा गया था, लेकिन जब वे वापस आए तो उन्होंने कहा कि एसएचओ अंदर नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि भगवान सिंह ने उन्हें बताया कि शिकायतकर्ता (पीडब्लू4 नजीर) ने पैसे जबरदस्ती उनकी जेब में डाल दिए

24. एक अन्य गवाह अभियोक्ता संख्या 16 नरेंद्र कुमार हैं, जिन्होंने प्रतिलिपि तैयार की है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा बताई गई प्रतिलिपि तैयार की है और उन्होंने सीडी तैयार नहीं की है। उन्हें कैसेट के 'मार्क' और उसकी समयावधि के बारे में भी जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिलिपि (एक्स.पी15) लिखते समय उनके संज्ञान में आया कि थाना प्रभारी बृजेंद्र यादव रिश्त की माँग कर रहे हैं और प्रतिलिपि (एक्स.पी15) में आरोपी अपीलकर्ता भगवान सिंह का नाम नहीं था।

25. अभियोगी संख्या 17 विनीत कुमार बंसल के बयान में यह भी सामने आया है कि थाना प्रभारी बृजेन्द्र यादव ने एसीबी कर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने यह भी कहा है कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि इमरत (पीडब्लू 2) अभियुक्त अपीलार्थी की निरुद्धता में था। उन्होंने आगे कहा है कि पर्चा बयान (एक्स.पी1) के अनुसार, उप निरीक्षक बृजेन्द्र यादव द्वारा पैसे की मांग की गई थी। उन्होंने यह भी कहा है कि जाँच के दौरान क्रमशः प्रतिलिपियों (एक्स.पी1 9 और एक्स.पी15) के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के तहत कोई प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था।

26. भौतिक साक्ष्यों पर विचार करने पर यह बात सामने आई है कि शिकायतकर्ता (पीडब्लू4 नजीर) और आरोपी अपीलकर्ता के बीच कथित बातचीत के क्रमशः प्रतिलेखों (एक्स.पी9 और एक्स.पी15) के संबंध में जाँच के दौरान भारतीय

साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के तहत कोई प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था। पीडब्लू17 विनीत कुमार बंसल, जो जाँच अधिकारी हैं, ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि क्रमशः प्रतिलेखों (एक्स.पी9 और एक्स.पी15) के संबंध में जाँच के दौरान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के तहत कोई प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था।

27. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अर्जुन पंडितराव खोतकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरंट्याल एवं अन्य के मामले में, जिसे (2020) 7 एससीसी 1 के रूप में रिपोर्ट किया गया है, पैरा 61 में निम्नानुसार देखा है:-

“61. इसलिए, हम दोहरा सकते हैं कि धारा 65-बी (4) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के माध्यम से साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए एक पूर्व शर्त है, जैसा कि अनवर पी.वी. [अनवर पी.वी. बनाम पी.के. बशीर, (2014) 10 एससीसी 473: (2015) 1 एससीसी (सिविल) 27: (2015) 1 एससीसी (सीआरआई) 24: (2015) 1 एससीसी (एल एंड एस) 108] में सही ढंग से आयोजित किया गया है, और शफी मोहम्मद [शफी मोहम्मद बनाम एच.पी. राज्य, (2018) 2 एससीसी 801: (2018) 2 एससीसी 807: (2018) 2 एससीसी (सिविल) 346: (2018) 2 एससीसी (सिविल) 351: (2018) 1 एससीसी (सीआरआई) 860: (2018) 1 एससीसी (सीआरआई) 865]। ऐसे प्रमाण पत्र के स्थान पर मौखिक साक्ष्य संभवतः पर्याप्त नहीं हो सकता क्योंकि धारा 65-बी (4) कानून की अनिवार्य आवश्यकता है। वास्तव में, टेलर बनाम टेलर [टेलर बनाम टेलर, (1875) एलआर 1 च डी 426] में पवित्र सिद्धांत, जिसका इस न्यायालय के कई निर्णयों में पालन किया गया है, को भी लागू किया जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा

65-बी (4) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि द्वितीयक साक्ष्य केवल तभी स्वीकार्य है जब वह बताए गए तरीके से प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा नहीं। अन्यथा मानने से धारा 65-बी (4) निरर्थक हो जाएगी।

28. भौतिक गवाह राजेंद्र कुमार वर्मा (पीडब्लू 6) और पीडब्लू 15 जगदीश प्रसाद गुप्ता, जो प्रतिलिपियों के गवाह हैं, ने भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था या वे आरोपी अपीलकर्ता की आवाज पहचानते हैं क्योंकि प्रतिलिपि उनकी उपस्थिति में तैयार की गई थी।

29. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नीरज दत्ता बनाम राज्य (दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) के मामले में, आपराधिक अपील संख्या 1669/2009, एसएलपी (क्रि.) संख्या 6497/2020 और अन्य संबंधित मामलों में दिनांक 15.12.2022 को निर्णय दिया, जिसे (2023) 4 एससीसी 731 के रूप में रिपोर्ट किया गया है, पैरा 88 में निम्नानुसार अवलोकन किया है:-

“88. उपर्युक्त चर्चा से जो बात उभर कर आती है, उसका सारांश इस प्रकार है:

88.1. (क) अभियोजन पक्ष द्वारा लोक सेवक द्वारा अवैध परितोषण की मांग और स्वीकृति को विवाद्यक तथ्य के रूप में साबित करना, अधिनियम की धारा 7 और 13(1)(डी)(i) और (ii) के तहत आरोपी लोक सेवक के अपराध को स्थापित करने के लिए अनिवार्य शर्त है।

88.2. (ख) अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए, अभियोजन पक्ष को पहले अवैध परितोषण की मांग और उसके बाद स्वीकृति को

तथ्य के रूप में साबित करना होगा। इस विवाद्यक तथ्य को प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, जो मौखिक साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य की प्रकृति का हो सकता है।”

30. वर्तमान मामले में, पर्चा बयान (एक्स.पी1) में आरोपी अपीलकर्ता द्वारा रिश्तत मांगने का कोई आरोप नहीं है। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष के मुख्य गवाहों, अर्थात् शिकायतकर्ता (पीडब्लू4 नजीर), पीडब्लू1 शाहुद्दीन, पीडब्लू2 इमरत और पीडब्लू3 परमाल ने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया है और पक्षद्रोही घोषित किया गया हैं। उनके बयानों का सार पूर्वगामी अनुच्छेदों में पहले ही उद्धृत किया जा चुका है।

31. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **नीरज दत्ता (उपर्युक्त)** मामले में की गई टिप्पणियों के अनुसार, चूंकि आरोपी अपीलकर्ता द्वारा रिश्तत की मांग का कोई सबूत नहीं है, इसलिए आरोपी अपीलकर्ता को दोषी ठहराना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य से, रिश्तत की कथित स्वीकृति भी आरोपी अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए पूरी तरह साबित नहीं हुई है। ऐसे की मांग और स्वीकृति के तथ्य को या तो प्रत्यक्ष साक्ष्य से साबित किया जाना है जो मौखिक साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य के नाम पर हो सकता है लेकिन वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष आरोपी अपीलकर्ता द्वारा की गई मांग और स्वीकृति को साबित करने में इस हद तक विफल रहा है कि कोई अन्य संभावित विचार नहीं है

क्योंकि आरोपी अपीलकर्ता ने खुद कहा है कि शिकायतकर्ता (पीडब्लू 4 नजीर) ने एक समय उसे पैसे सौंपने की कोशिश की थी लेकिन जब उसने लेने से इनकार कर दिया और शिकायतकर्ता (पीडब्लू 4 नजीर) अपने कार्यालय से बाहर चला गया। वे एसीबी कर्मियों की धमकी पर वापस आए और जबरन पैसे उसकी जेब में डाल दिए और उसके बाद उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। शिकायतकर्ता (पीडब्लू 4 नजीर) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब आरोपी अपीलकर्ता ने एसीबी कर्मियों के निर्देश पर दिए जा रहे पैसे लेने से इनकार कर दिया, तो वे कार्यालय से बाहर आ गए और वहाँ खड़े एसीबी कर्मियों ने उन्हें वापस जाकर पैसे देने की धमकी दी। पीडब्लू 1 शाहबुद्दीन ने भी मांग और स्वीकृति का समर्थन नहीं किया है। पीडब्लू 2 इमरत और पीडब्लू 3 परमाल ने भी आरोपी अपीलकर्ता द्वारा पैसे की मांग और स्वीकृति का समर्थन नहीं किया है।

32. विचारणीय न्यायालय के निष्कर्षों की आलोचनात्मक जाँच करने पर यह बात सामने आई है कि विचारणीय न्यायालय ने अभियुक्त अपीलकर्ता को दोषी ठहराया है और कहा है कि मौखिक और दस्तावेज़ी साक्ष्यों से यह साबित होता है कि भ्रष्ट धन अभियुक्त के शरीर से, यानी उसकी पैंट की बाईं जेब से बरामद किया गया था और अभियुक्त ने इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया है कि उसने उस राशि को छुआ तक नहीं था, बल्कि यह झूठा स्पष्टीकरण दिया है कि शिकायतकर्ता ने उसे जबरन उसकी जेब में डाल दिया था। पैरा 17 में दिए गए निष्कर्ष इस

संभावना पर आधारित हैं कि अभियुक्त के स्पष्टीकरण और शिकायतकर्ता के बयान के बीच विरोधाभास हैं, हालांकि वह इस तथ्य को जानता है कि शिकायतकर्ता (पीडब्लू 4 नजीर) अपने बयान से पलट गया है।

33. विचारणीय न्यायालय ने आरोपी अपीलकर्ता को दोषी ठहराते हुए यह भी देखा कि मांग और स्वीकृति इमरत (पीडब्लू 2) की रिहाई के लिए थी, जिसे उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज किए बिना अवैध रूप से पुलिस स्टेशन मालाखेड़ा में बंद कर दिया गया था। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि ट्रायल कोर्ट ने इसे अच्छी तरह से जानते हुए और अपने फैसले में यह देखा है कि जांच अधिकारी ने जिरह के दौरान स्वीकार किया है कि कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि इमरत को आरोपी भगवान सिंह की हिरासत से बरामद किया गया था, अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर नहीं करता है, क्योंकि आरोपी की रिहाई के लिए उसके द्वारा सौदेबाजी की जा रही थी और पीड़ित को उस जगह से बरामद किया गया था जहां आरोपी भगवान सिंह रहता है। जब आरोपी अपीलकर्ता भगवान सिंह के अधीन इमरत (पीडब्लू 2) के कारावास के संबंध में कोई मौखिक और साथ ही दस्तावेजी सबूत नहीं है, तो विचारणीय न्यायालय की टिप्पणियां और निष्कर्ष अवैध और विकृत हैं। विचारणीय न्यायालय ने आरोपी अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए बातचीत की रिकॉर्डिंग को भी ध्यान में रखा है और कहा है कि आरोपी भगवान सिंह का नाम न आने के संबंध में, यह सच है कि उनका नाम पर्चा बयान एक्स.पी1 में नहीं है

और एसएचओ यादव का नाम इसमें है, लेकिन जब शिकायतकर्ता को टेप रिकॉर्डर देकर सत्यापन के लिए भेजा गया, तो एसएचओ ने शिकायतकर्ता को आरोपी भगवान सिंह के पास भेजा, जिसने सौदे पर बातचीत की और 35,000/- रुपये की मांग की। उन्होंने रिकॉर्डिंग और प्रतिलिपि पर भी भरोसा किया है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, निश्चित रूप से प्रतिलिपि के संबंध में जांच के दौरान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के तहत कोई प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था। जब अदालत में इसे चलाया गया तो भौतिक गवाह भी आरोपी अपीलकर्ता की आवाज नहीं पहचान सके। रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि रिकॉर्ड की गई बातचीत में आरोपी अपीलकर्ता की कथित आवाज को प्रमाणित करने के लिए कोई आवाज के नमूने नहीं लिए गए थे। अतः, ऐसी परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त अपीलकर्ता के विरुद्ध की गई दोषसिद्धि विधि-संगत एवं स्थिर नहीं मानी जा सकती।

34. विद्वान विचारणीय अदालत ने कुछ निर्णयों का हवाला देते हुए यह टिप्पणी की है कि बिना मांग के सबूत के अभियुक्त के पास से केवल करेंसी नोटों का कब्जा और बरामदगी दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है, इस पर विवाद नहीं किया जा सकता। फिर भी, केवल कथित तौर पर कुछ करेंसी नोटों की बरामदगी के आधार पर, मांग और स्वीकृति के संबंध में कोई ठोस सबूत न होने पर भी अभियुक्त अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया है। शिकायतकर्ता (पीडब्लू1 नजीर) के

पर्चा बयान (एक्स.पी1) के आधार पर दर्ज शिकायत में अभियुक्त अपीलकर्ता द्वारा किसी मांग का उल्लेख नहीं है, लेकिन यह किसी ठोस सत्यापन और स्वीकृति द्वारा समर्थित नहीं है।

35. पर्चा बयान (एक्स.पी1) के अनुसार, मांग एसएचओ यादव द्वारा की गई थी, लेकिन उन्हें सीआरपीसी की धारा 169 के प्रावधानों के तहत रिहा/मुक्त कर दिया गया और इसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। विद्वान विचारणीय न्यायालय ने यह भी देखा कि "अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों से यह उचित संदेह से परे साबित होता है कि इमरत को एसएचओ की सहमति से कई दिनों तक अवैध रूप से पुलिस स्टेशन में बंद रखा गया था, जब तक कि उसे एसीबी और रोजनामचा द्वारा अदालत में पेश नहीं किया गया और अन्य साक्ष्यों से पता चलता है कि बृजेंद्र यादव, एसएचओ इन दिनों के दौरान पुलिस स्टेशन में मौजूद रहे। इसलिए, मालाखेड़ा के एसएचओ, बृजेंद्र यादव अपने गैरकानूनी कृत्य के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई के हकदार हैं। इसलिए, कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए डीजीपी, राजस्थान को एक पत्र लिखा जाए"। इन अभिलक्षणों के अतिरिक्त, परचा बयान (Ex.P1) में आरोप एस.एच.ओ. यादव के विरुद्ध भी लगाया गया है, तथापि उन्हें अभियुक्त नहीं बनाया गया तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 169 के अंतर्गत उन्हें मुक्त कर दिया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों में, एसएचओ यादव को आरोपी के

रूप में शामिल किए बिना आरोपी अपीलकर्ता को दोषी ठहराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

36. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिगम्बर वैष्णव एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में, (2019) 4 एससीसी 522 में रिपोर्ट किया गया, पैरा 14 में निम्नानुसार अवलोकन किया है:-

“14. आपराधिक न्यायशास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों में से एक निर्विवाद रूप से यह है कि साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार पूरी तरह से अभियोजन पक्ष पर होता है और सामान्य भार कभी नहीं बदलता। अनुमान, अटकलें या संदेह के आधार पर दोषसिद्धि नहीं हो सकती, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो। प्रबल संदेह, प्रबल संयोग और गंभीर संदेह कानूनी प्रमाण का स्थान नहीं ले सकते। अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए अत्यधिक प्रबल संदेह और अत्यधिक संदिग्ध कारकों का हवाला देकर अभियोजन पक्ष का दायित्व पूरा नहीं किया जा सकता, न ही बचाव पक्ष का मिथ्यात्व उस प्रमाण का स्थान ले सकता है जिसे अभियोजन पक्ष को सफल होने के लिए स्थापित करना होता है, हालाँकि बचाव पक्ष द्वारा दी गई झूठी दलील को एक अतिरिक्त परिस्थिति माना जा सकता है, यदि अन्य परिस्थितियाँ निश्चित रूप से दोष की ओर इशारा करती हैं।”

37. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबडे एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में, (1973) 2 एससीसी 793 में रिपोर्ट किया गया, पैरा 19 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:-

“19. अब आइए हम पूरे मामले का सारांश उन साक्ष्यों के आलोक में प्रस्तुत करें जो हमें सार्थक लगे हैं। हमें यह ध्यान रखना होगा

कि यदि कोई गवाह विश्वसनीय न भी हो, तो भी उसका झूठा होना ज़रूरी नहीं है और यदि पुलिस ने अपने मामले को विश्वसनीय बनाने के लिए एक-दो गवाह गढ़े हों या कहानी गढ़ी हो, तो भी न्याय को पराजित नहीं किया जा सकता, बशर्ते अभियुक्त के अपराध को सिद्ध करने वाले स्पष्ट और निर्विवाद साक्ष्य मौजूद हों। निस्संदेह, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले अभियुक्त का दोषी होना आवश्यक है, न कि केवल दोषी हो सकता है, और "हो सकता है" और "होना ही चाहिए" के बीच का मानसिक अंतर बहुत लंबा है और अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करता है। इन महत्वपूर्ण सिद्धांतों से अवगत होकर, हम अपने द्वारा सही पाए गए साक्ष्यों का विश्लेषण करते हैं। हमारे विचार में, केवल एक प्रत्यक्षदर्शी, पी.डब्ल्यू. 5, विलास, है। यदि अभियुक्त के विरुद्ध मामला एक प्रत्यक्षदर्शी के साक्ष्य पर टिका है, तो भी एक सक्षम, ईमानदार व्यक्ति की उत्कृष्ट गवाही के आधार पर दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त हो सकता है, हालाँकि विवेक के नियम के अनुसार न्यायालय पुष्टिकरण की माँग करते हैं। यह कहना एक सामान्य बात है कि गवाहों को तौलना चाहिए, गिनना नहीं, क्योंकि मानवीय मामलों में गुणवत्ता संख्या से ज़्यादा मायने रखती है। हम इस बात से सहमत हैं कि अभियोगी 5 सत्य का गवाह है, लेकिन जिन परिस्थितियों में उसकी रुचि है, उन्हें देखते हुए हम फिर भी खुद को आश्वस्त करने के लिए इस मामले में पुष्टिकरण चाहते हैं। और इस मामले में हमने ऐसा किया भी है।"

38. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की बनाम पंजाब राज्य के मामले में, (2006) 12 एससीसी 306 में रिपोर्ट किया है, पैरा 27 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:-

“27. हमने इसके पहले देखा है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय दोनों ने दो दृष्टिकोणों की संभावनाओं की तुलना की। अब यह किसी भी संदेह से परे है कि जहां एक कहानी के दो दृष्टिकोण संभावित प्रतीत होते हैं, अभियुक्त द्वारा प्रतिपादित एक को स्वीकार किया जाना चाहिए। (के. गोपाल रेड्डी बनाम ए.पी. राज्य [(1979) 1 एससीसी 355: 1979 एससीसी (सीआरआई) 305], शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1984) 4 एससीसी 116: 1984 एससीसी (सीआरआई) 487: एआईआर 1984 एससी 1622], तोता सिंह बनाम पंजाब राज्य [(1987) 2 एससीसी 529: 1987 एससीसी (सीआरआई) 381: एआईआर 1987 एससी 1083], दिवाकर नीलकंठ हेगड़े बनाम कर्नाटक राज्य [(1996) 10 एससीसी 236: 1996 एससीसी (सीआरआई) 1242: जेटी (1996) 7 एससी 63], उड़ीसा राज्य बनाम बाबाजी चरण मोहंती [(2003) 10 एससीसी 57: 2004 एससीसी (सीआरआई) 785] और हेम राज बनाम हरियाणा राज्य [(2005) 10 एससीसी 614: 2005 एससीसी (सीआरआई) 1646]।”

39. साक्ष्य की जांच करने पर, इस न्यायालय को पता चलता है कि दो संस्करणों की संभावनाएं हैं; एक, वह है जिसका उल्लेख पर्चा-बयान (एक्स.पी1) में किया गया है यानी एसएचओ यादव द्वारा मांग की गई और बाद में आरोपी अपीलकर्ता (उपनाम 'गुर्जर' है) की जेब में पैसा डाल दिया गया जैसा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों से स्पष्ट है, वह भी एसीबी कर्मियों की धमकी के तहत और दूसरी संभावना यह हो सकती है कि एसएचओ यादव द्वारा मांग की गई थी और आरोपी अपीलकर्ता ने एसएचओ यादव की मांग को पूरा करने के लिए

सहयोग किया था, जिन्हें आरोपी के रूप में नहीं रखा गया है और उन्हें धारा 169 सीआरपीसी के तहत रिहाई दी गई है। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष का साक्ष्य पूर्ण प्रमाण के साथ सामने नहीं आता है जिससे आरोपी अपीलकर्ता को कथित आरोपों के लिए दोषी ठहराया जा सके।

अभिलेखों में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं आया है जिससे पता चले कि शिकायतकर्ता पक्ष का कोई ऐसा कार्य लंबित है या अभियुक्त अपीलकर्ता के अधिकार क्षेत्र में है जिसके लिए वह धन की माँग या स्वीकृति करेगा। ऐसे साक्ष्य के अभाव में दोषसिद्धि और दण्ड को उचित नहीं कहा जा सकता।

40. **दिगम्बर वैष्णव (उपरोक्त), शिवाजी साहबराव बोबडे (उपरोक्त) और विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की (उपरोक्त)** के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान मामले के अभियोजन साक्ष्य पर इसे लागू करते हुए, यह न्यायालय महसूस करता है कि 1988 के अधिनियम की धारा 13(1)(डी) के साथ धारा 7 और 13(2) के तहत अपराधों के लिए आरोपी अपीलकर्ता की सजा अवैध, विकृत और टिकाऊ नहीं है।

41. अतः, उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, आरोपी अपीलकर्ता द्वारा दायर आपराधिक अपील स्वीकार किए जाने योग्य है और तदनुसार स्वीकार की जाती है और सत्र प्रकरण संख्या 33/2015(12/10,101/13), राज्य बनाम भगवान सिंह में विद्वान विशेष न्यायाधीश, एसीडी मामलों की विशेष अदालत, अलवर की अदालत द्वारा

पारित दिनांक 04.01.2016 को दोषसिद्धि और सजा का आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है और आरोपी अपीलकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है।

42. अभियुक्त अपीलकर्ता जमानत पर है, इसलिए उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, उसके जमानत बंधपत्र और जमानती बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं।

43. तथापि, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 437-ए के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त अपीलकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह इस न्यायालय के उप रजिस्ट्रार (न्यायिक) के समक्ष 20,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि का जमानत बंधपत्र तत्काल प्रस्तुत करें, जो छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगा, इस आशय का कि इस निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर करने या अनुमति प्रदान किए जाने की स्थिति में, उक्त अपीलकर्ता, इसके लिए नोटिस प्राप्त होने पर, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

44. अभिलेख तत्काल विचारण न्यायालय को वापस भेजा जाए।

(गणेश राम मीणा),जे

शर्मा एनके/उप रजिस्ट्रार

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra

Advocate
